भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3419

09 अगस्त, 2023 के लिए प्रश्न

'अन्न भाग्य' योजना

3419. श्री डी.के. सुरेश:

श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने 'अन्न भाग्य' योजना शुरू की है जिसे कर्नाटक निःशुल्क चावल वितरण योजना भी कहा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक से इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न की मांग संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कर्नाटक को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): कर्नाटक सरकार द्वारा सब्सिडी-प्राप्त दरों पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए दिनांक 15.06.2013 को अन्न भाग्य योजना शुरू की गई थी।

(ग) से (च): ओएमएसएस (डी) के तहत राज्य के लिए अन्न भाग्य स्कीम हेतु चावल के अतिरिक्त आवंटन हेतु अनुरोध के साथ कर्नाटक सरकार से दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार को पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और कानून एवं व्यवस्था परिस्थितियों तथा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले राज्यों को छोड़कर दिनांक 13 जून, 2023 से सभी राज्य सरकारों को खुला बाजार बिक्री स्कीम (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] के अंतर्गत चावल और गेहूँ की बिक्री को बंद करने के भारत सरकार के निर्णय के बारे में सूचित किया गया था। भारत सरकार ने देश के लगभग 140 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अल-निनो के कारण वर्षा में संभावित कमी संबंधी मानसून की चिंताओं के बीच, जिससे देश में खरीफ फसल उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने और मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के अंतर्गत वितरण हेतु केन्द्रीय पूल में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने का निर्णय लिया है। तथापि, सरकार, जैसा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत प्रतिबद्ध है, दिनांक 1 जनवरी, 2023 से एनएफएसए लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है।

******